5 भारतीय अर्थव्यवस्था : संकल्पनाएं, समसामयिकी एवं आंकड़े

A. संकल्पनाएं

1. राष्ट्रीय आय (National Income)

† **राष्ट्रीय आय (National Income) :** राष्ट्रीय आय का आंकलन किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि (प्राय: एक वित्तीय वर्ष जैसे कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के भीतर अन्तिम रूप से उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग के रूप में किया जाता है। इसके अन्तर्गत दोहरी गणना के दोषों से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता।

[Country + Financial Year + Final Goods & Services + Total Money Value = NI]

† **जीडीपी (Gross Domestic Product) :** किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उसकी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग ही **''जीडीपी''** कहलाता है।

नोट : जीडीपी में स्थान महत्वूपर्ण होता है न कि व्यक्ति।

[Country + Financial Year + Domestic Boundary + Final Goods & Services + Total Money Value = GDP]

† **एनडीपी (Net Domestic Product) :** जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटाने पर जो शेष बचता है, **''एनडीपी''** कहलाता है।

[GDP - Depreciation = NDP]

† **जीएनपी (Gross National Product) :** किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग ही **''जीएनपी''** कहलाता है।

नोट : जीएनपी में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है न की स्थान।

[Country + Financial Year + GDP + (X-M) + Final Goods & Services + Total Money Value = GNP]

X = विदेशों में रहने वाले भारतीय (निर्यात)

M = भारत में रहने वाले विदेशी (आयात)

† **एनएनपी (Net National Product) :** जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाने पर जो शेष बचता है **''एनएनपी''** कहलाता है।

[GNP - Deprecation = NNP]

† **प्रति व्यक्ति आय (PCI) :** किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या को भाग देने पर जो औसत आय प्राप्त होती है, उसे **''पीसीआई''** कहते हैं।

$$\text{PCI} = \frac{\text{National Income}}{\text{Total Population}}$$

नोट: प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का सूचक है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस वित्तीय वर्ष की **PCI** मापी जाती है उसी वित्तीय वर्ष की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है।

† **आर्थिक संवृद्धि (Economical Growth) :** संवृद्धि किसी व्यक्ति, समूह, क्षेत्र या देश में होने वाली मात्रात्मक (Quantitative) प्रगति को कहते हैं। अर्थशास्त्री इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में होने वाली मात्रात्मक प्रगति को दर्शाने के लिए करते हैं और यह हमेशा तुलनात्मक रूप से ही प्रयुक्त होता है। उदाहरण के तौर पर किसी देश की आय का, सड़क की लम्बाई का, इस्पात के उत्पादन इत्यादि की मात्रा का पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ जाना ही ''आर्थिक संवृद्धि'' है। अर्थात् मात्रात्मक आर्थिक प्रगति ही आर्थिक संवृद्धि है। यह संवृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही हो सकती हैं।

† **आर्थिक विकास (Economical Development) :** विकास शब्द मात्रा के साथ-साथ गुण (Quality) का भी बोध कराता है। किसी व्यक्ति, समूह या देश की अर्थव्यवस्था में अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो मात्रात्मक प्रगति के साथ-साथ वहां गुणात्मक प्रगति भी हो रही होगी। मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति ही ''विकास'' है। इसका अर्थ है कि विकास में संवृद्धि समाहित है। अत: विकास, संवृद्धि से ज्यादा व्यापक अवधारणा है।

जहां किसी देश के सकल उत्पादन का बढ़ना संवृद्धि दर्शाता है वहीं उस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सुरक्षा, रहन-सहन का स्तर आदि की बेहतरी उसके विकास का द्योतक है।

2. मुद्रास्फीति (Inflation)

† **मुद्रास्फीति का अर्थ (Meaning of Inflation) :** जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पूर्ति के सापेक्ष मांग तीव्र गति से बड़े, परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में सतत वृद्धि (Sustained increase in price level) बनी रहे, जिससे मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ जाती है। यह स्थिति ''मुद्रास्फीति'' कहलाती है। आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति ''महंगाई'' है।

[Demand ‹ Supply ◘ Œ Sustained Increase in price level Œ Purchasing power of money ◘ = Inflation]

8 **मुद्रास्फीति के कारण (Reason behind Inflation) :** मुद्रास्फीति के दो प्रमुख कारण हैं-

(i) **मांग जनित मुद्रास्फीति (Demand Pull Inflation) :** उत्पादों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन आने से **मांग जनित मुद्रास्फीति** होती है।

(ii) **लागत जनित मुद्रास्फीति (Cost Pull Inflation) :** उत्पादों की उत्पादन लागत (Cost of Production) बढ़ने से **लागत जनित मुद्रास्फीति** होती है।

† **मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण (Inflation control by Monetary Policy) :** मौद्रिक नीति की प्रमुख दरों को परिवर्तित कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना RBI का प्रमुख कार्य है :-

मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति नियंत्रण

Bank Rate	Repo Rate	Reverse Repo Rate	Cash Reserve Ratio	Statutory Liquidity Ratio
[जिस दर पर RBI व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करता है वह **बैंक दर** कहलाती है।]	[जिस दर पर RBI व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करता है वह **रेपो दर** कहलाती है।]	[व्यापारिक बैंक जिस दर पर अपनी अतिरिक्त तरलता RBI के पास रखते हैं, **रिवर्स रेपो दर** कहलाती है। इस पर बैंकों को ब्याज की प्राप्ति होती है]	[व्यापारिक बैंक अपनी नकदी का एक निश्चित अनुपात (RBI द्वारा निर्धारित) RBI के पास रखते हैं। उसे **नकद आरक्षण अनुपात** कहते हैं। इस पर बैंक को कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता]	[व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है]
बैंक रेट में वृद्धि के प्रभाव बैंकों का ऋण लेना महंगा ◘ जनता द्वारा ऋण की माँग में कमी ◘ माँग एवं पूर्ति के मध्य अंतर में कमी ◘ मुद्रास्फीति नियंत्रित	**रेपो रेट में वृद्धि के प्रभाव** बैंकों का ऋण लेना महंगा परिणामत: जनता के लिए ब्याज दरों में वृद्धि ◘ माँग एवं पूर्ति के मध्य अंतर में कमी ◘ मुद्रास्फीति नियंत्रित	**रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि के प्रभाव** बैंक RBI के पास अधिक से अधिक मात्रा में तरलता रखने के लिए प्रेरित होंगे ◘ अर्थव्यवस्था से तरलता की मात्रा में कमी ◘ मुद्रास्फीति नियंत्रित	**CRR में वृद्धि के प्रभाव** बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी ◘ अर्थव्यवस्था से तरलता की मात्रा में कमी ◘ मुद्रास्फीति नियंत्रित	**SLR में वृद्धि के प्रभाव** कुल जमाओं का एक बड़ा हिस्सा स्वर्ण एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखने के कारण बैंकों की तरलता में कमी ◘ अर्थव्यवस्था से तरलता की मात्रा में कमी ◘ मुद्रास्फीति नियंत्रित

नोट : उक्त सभी दरों को यदि आरबीआई पहले की तुलना में कम कर दे तो उपरोक्त के विपरीत की स्थिति बनेगी, अर्थात् अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ने से मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी।

† **Liquidity Adjustment Facility :** यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी गई एक सुविधा है। यह मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में प्रयुक्त किया जाने वाला एक प्रमुख टूल है। इसके अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो दरें आते हैं जिनकी दरों पर नियंत्रण करके भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में उपलब्ध मुद्रा को नियंत्रित करता है। वर्ष 2000 से LAF को पूर्णता अपनाया गया।

† **Margenal Standing Faciligy :** यह 9 मई 2011 से प्रारम्भ भारतीय रिजर्व बैंक की ऐसी सुविधा है जिसके तहत बैंक अपने शुद्ध मांग और सावध ी उत्तरदायित्व (Net Demand and Time Liabilities - NDTL) का 2% तक अति अल्प अवधी (Over Night) के लिए ऋण ले सकते हैं। इसकी दरें रेपो रेटे से सदैव एक प्रतिशत अधिक होती है। MSF, LAF से इस रूप में भिन्न है, क्योंकि MSF के तहत वाणिज्यिक बैंक SLR के तहत रखी प्रतिभूतियों के बदले भी उधार ले सकते है।

† **सस्ती मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) :** सस्ती मुद्रा नीति से अभिप्राय ऐसी मौद्रिक नीति से है जिसके अंतर्गत उद्योगों, व्यवसायों व उपभोक्ताओं

को कम ब्याज दर व आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होता है अर्थात् उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु जिस नीति का अनुसरण RBI करती है **''सस्ती मुद्रा नीति''** कहलाती है।

† **महंगी मुद्रा नीति (Dear/Strong Money Policy) :** RBI द्वारा मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाती है ताकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता न पहुंच सके, **''महंगी मुद्रा नीति''** कहलाती है।

† **खुला बाजार प्राचलन (Open Market Operation) :** RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का ''क्रय-विक्रय'' खुला बाजार प्राचलन कहलाता है। यह मौद्रिक नीति का ही एक हिस्सा है।

† **राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) :** सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण सम्बन्धी क्रियाओं तथा हिनार्थ प्रबन्ध से सम्बन्धित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। इस नीति में मुख्य रूप से तीन मुद्दे शामिल होते हैं-(i) करारोपण (Taxation), (ii) सार्वजनिक ऋण (Public Borrowing), (iii) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)।

† **हिनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing) :** जब सरकार RBI से नये नोट निर्गमित करवाती है तो यह प्रक्रिया हिनार्थ प्रबन्धन कहलाती है। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता की अधिकता हो जाती है जो मुद्रास्फीति की दरों में वृद्धि में सहायक है।

† **मंदी (Recession):** अर्थव्यवस्था में व्याप्त वह स्थिति मंदी कहलाती है जब कोई भी क्षेत्र नये रोजगार सृजन की स्थिति में न हो बल्कि रोजगार में संलग्न लोगों को रोजगार से हटाया जाये, परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर चरमसीमा पर हो और अर्थव्यवस्था में असन्तोष व संघर्ष की स्थिति व्याप्त होने लगे। यह स्थिति ही मंदी कहलाती है।

नोट: Slow down की स्थिति आर्थिक क्रियाओ में ह्रासमान को दर्शाती है।

† **मुद्रा अवस्फीति Ç̀Ò~*{ä˘b] [D:** जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग के सापेक्ष, आपूर्ति बढ़ जाये और इस स्थिति में निरन्तर वस्तुओं के मूल्यों में कमी आने से उत्पादक वर्ग हानि की स्थिति में आ जाता है। वह इस स्थिति में ना तो नया निवेश करेगा और न ही उत्पाद व रोजगार सृजन करेगा। साथ ही रोजगार में संलग्न लोगों की छँटनी प्रारम्भ कर देगा। इससे उत्पादक वर्ग का उत्पाद बिना बिके रह जायेगा। यह स्थिति उत्पादक वर्ग, के लिए कष्ट दायक रहेगी साथ ही अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति बनी रहेगी। यह सम्पूर्ण स्थिति **''मुद्रा अवस्फीति'' Ç̀Ò~*{ä˘b] [D**कहलाती है।

† **मुद्रा संस्फीति Ç̀Ù~*{ä˘b] [D:** अर्थव्यवस्था में ''मुद्रा अवस्फीति'' के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए जब जानबूझकर मुद्रा व साख की मात्रा में वृद्धि कर क्रत्रिम मुद्रास्फीति लाने का प्रयास किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ने से पुनः मांग में वृद्धि हो सके और इस प्रकार मांग में हुई वृद्धि आपूर्ति पक्ष में कमी लाकर वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि लाकर पुनः उत्पादक वर्ग को लाभ की स्थिति में ला देता है। यह सम्पूर्ण प्रयास **''मुद्रा संस्फीति'' Ç̀Ù~*~{ä˘b] [D**कहलाता है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास किया जाता है।

† **मुद्रा अपस्फिीति (Disinflation) :** जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दरों में तीव्रता से वृद्धि हो और उस स्थिति में देश का केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) अपनी मौद्रिक नीति की दरों को सख्त कर अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता जाने से रोकने का प्रयास करें तो यह स्थिति **''मुद्रा अपस्फिीति'' Ç̀Òbcb[*{ä˘b] [D**की कहलाती है।

3. विदेशी व्यापार (Foreign Trade)

† **भुगतान संतुलन (Balance of Payment-BOP) :** एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ सामान्यतया एक वर्ष के दौरान, जो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन-देन होते है, उनकी प्रविष्टि जिस विवरण या खाते में दर्शाते है उसे **''भुगतान सन्तुलन विवरण''** कहते है। यह विवरण एक वर्ष से सम्बन्धित है। अन्य शब्दों में - ''भुगतान संतुलन एक ऐसा लेखा होता है जिसमें एक देश का शेष विश्व के देशों के साथ होने वाले सभी आर्थिक लेन-देन का उल्लेख होता है।'' भुगतान संतुलन में दो प्रकार के खातों को शामिल किया जाता है :-

(a) चालू खाता (Current Account), (b) पूंजीगत खाता (Capital Account)

(a) **चालू खाता (Current A/c) :** एक वित्तीय वर्ष में दृश्य (Visible) और अदृश्य (Invisible) मदों के आयात निर्यात के मौद्रिक मूल्य का लेखा-जोखा ही **''चालू खाता''** (Current Account) कहलाता है।

a(i) **चालू खाता घाटा (Current A/c Deficit) :** यदि एक वित्तीय वर्ष में दृश्य व अदृश्य मदों का आयात के सापेक्ष निर्यात कम होता है तो वह स्थिति**''चालू खाते में घाटे की स्थिति''** कहलाती है।

सूत्र : Money Value of Import of visible & invisible Items Ž- Money Value of Export of visible & Invisible Items ◘= Current Account Deficit (CAD).

नोट :4 दृश्य खाता/पण्य खाता/व्यापार खाता तीनों एक ही है जिसके अन्तर्गत केवल वस्तुओं के आयात (पेट्रोलियम, पूंजीगत वस्तुएं) और निर्यात (जेम्स, ज्वेलरी, चाय, काफी, मसाला) को प्रदर्शित किया जाता है।

4 अदृश्य मदों से आशय ऐसी मदों से है जिनकी प्राप्तियाँ तथा भुगतान वस्तुओं के आयात-निर्यात की तरह बन्दरगाह पर रिकार्ड नहीं किये जाते है जैसे- यात्रा, यातायात, वित्तीय, साफ्टवेयर, बैंक, बीमा, पर्यटन, शिक्षा, ब्याज, लाभांश भुगतान व उपहार।

4 दृश्य तथा अदृश्य मदों को एक साथ मिला लिया जाये तो वहीं **चालू खाता** (Current Account) कहलाता है।

4 चालू खाते के घाटे (CAD) का मौद्रिक मूल्य, उस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है तथा इस खाते का प्रबंधन RBI द्वारा किया जाता है।

4 चालू खाते के दृश्य व अदृश्य मदों का अर्थव्यवस्था की आय, उत्पादन व रोजगार से प्रत्यक्ष संबंध है।

(b) **पूंजी खाता (Capital A/c) :** किसी देश के सभी विदेशी लेन-देन जो पूंजीगत किस्म के होते हैं, का विवरण पूंजीगत खाते में किया जाता है। इस खाते में शामिल हैं- विदेशी ऋणों की प्राप्ति तथा आवंटन, निजी प्रेषण (Private Remittances) का आना तथा जाना, विदेशी बॉण्ड की खरीद से बाहर जाने वाला धन तथा विदेशों में भारतीय बाण्डों की बिक्री से प्राप्त धन एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का अंर्तप्रवाह तथा बर्हिप्रवाह को शामिल किया जाता है।

नोट : इस खाते में कोई घाटा या अतिरेक नहीं होता। चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते से पूरा किया जाता है और इस खाते का प्रबन्धन भी RBI द्वारा किया जाता है।

किन मदों की प्रविष्टि को किस खाते में (चालू खातों व पूंजी खाता) रखा जायेगा, की जटिलता को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है:-

उदाहरण : एक जापानी प्रोफेसर, भारत व्याख्यान देने के लिए आता है और 10 दिन भारत में रहता है। इन 10 दिनों में वह 4 लाख रूपये होटल पर व्यय करता है, 2 लाख रूपये के खिलौने अपने बच्चों के लिए (जापान ले जाने के लिए) खरीदता है, भारत आते समय वह जापान एयरलाइन्स से 1 लाख रूपये का टिकट खरीद के आया था और जाते समय 1.50 लाख रूपये का टिकट इण्डियन एयरलाइन्स से खरीदता है। उसने 1 एक करोड़ की भारत में परिसम्पत्ति भी खरीदी।

चालू खाते की अदृश्य मदों की प्रविष्टि में शामिल होने वाली मदे है -

4 इन्डियन एयर लाइन्स के 1.50 लाख रूपये के टिकट पर व्यय, भारतीय सेवाओं का क्रय है अर्थात् सेवाओं का निर्यात है इसलिये अदृश्य मद में जायेगा।

4 होटल की सेवाओं पर 4 लाख रूपये का व्यय भारतीय सेवाओं का क्रय है अर्थात् सेवाओं का निर्यात है। इसलिए अदृश्य मद में जायेगा।

4 2 लाख रूपये के खिलौनों पर व्यय भी अदृश्य मद में जायेगा क्योंकि इसे पोर्ट पर रिकार्ड नहीं किया गया है।

4 1 करोड रूपये की परिसम्पत्ति पर किया व्यय भी अदृश्य मद में जायेगा क्योंकि इसका भी पोर्ट पर कोई रिकार्ड नहीं है।

नोट : 4 उस जापनी प्रोफेसर ने जो जापान एयर लाइन्स से 1 लाख रूपये का टिकट खरीदा था उसका भारतीय BOP से कोई लेना देना नहीं।

4 एक महत्वपूर्ण बात और NRI द्वारा भारत में अपने सगे सम्बन्धियों को प्रेषण (भेजना) चालू खाते की अदृश्य मद का एक तरफा हस्तान्तरण के रूप में प्रदर्शित होगा जबकि उसके द्वारा भारत में किया गया जमा (NRI Deposits) पूंजी खाते में जायेगी। और उसके जमा खाते से उसके किसी रिश्तेदार ने पैसे की निकासी की तो वह चालू खाते के अदृश्य मद मे जायेगी।

† **व्यापार शेष (Balance of Trade) :** किसी निर्धारित समय (सामान्यत: एक वर्ष) में केवल आयातित एवं निर्यातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का अंतर उस देश का ''व्यापार शेष'' कहलाता है। इसमें केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है अर्थात् सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। किसी देश का व्यापार शेष दो स्थिति में हो सकता है। (**i**) प्रतिकूल व्यापार शेष (Import Ž - Exprot ◘) (ii) अनुकूल व्यापार शेष (Import ◘ - Exprot Ž)

नोट: व्यापार शेष, भुगतान संतुलन का एक महत्वपूर्ण अंश है।

† **मुद्रा की परिवर्तनीयता (Convertibility of Rupee) :** ऐसी व्यवस्था जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएँ मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती है।

भारत के सन्दर्भ में रूपये की परिवर्तनीयता :

4 20 अगस्त 1994 में भारतीय रूपये को ''भुगतान संतुलन'' के चालू खाते के लेन-देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया।

4 भारतीय संदर्भ में रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का तात्पर्य यह नहीं कि भारतीय बाजार में खुले रूप से जितने डालर खरीदना चाहे खरीद सकते हैं बल्कि यहां ''बाजार'' का तात्पर्य Commerical Banks, EXIM Bank और RBI से है। यदि आयातक डालर की मांग करते हैं तो व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक से एक निश्चित मूल्य सीमा के भीतर विनिमय दर के आधार पर डालर की आपूर्ति करते है और भारतीय निर्यातकों को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा को रिजर्व बैंक एक निश्चित विनिमय दर पर खरीद लेता है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय दोनों मूल्य केन्द्रिय बैंक निश्चित करता है।

† **अवमूल्यन (Devalution) :** जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के सापेक्ष ''मूल्य ह्रास'' आधिकारिक तौर पर (जानबूझकर, उस देश की सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से) कर दिया जाए तो यह "Devalution" कहलाता है। परन्तु यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति के असंतुलन के कारण किसी मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है तो वह Deprication कहलाता है।

† **अधिमूल्यन (Revaluation) :** जब किसी एक मुद्रा के मूल्य में किसी दूसरी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य वृद्धि आधिकारिक रूप से की जाए तो यह स्थिति "Revaluation" कहलाती है। परन्तु यदि बाजार द्वारा ऐसा हो तो उसे Appreciation कहते हैं।

† **एंटी डपिंग ड्यूटी (Anti Dumping Duty) :** एक आयातक देश एंटी डपिंग ड्यूटी उस समय लगाता है, जब एक निर्यातक देश अपनी वस्तु उसके यहाँ प्रचलित मूल्य से कम पर बेचकर उसका बाजार खराब करने का प्रयास करता है। अर्थात् यह ड्यूटी घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लगायी जाती है।

† **विदेशी निवेश (Foreign Investment) :** जब कोई देश विकास हेतु आवश्यक संसाधनों को अपने आंतरिक स्रोतों से नही जुटा पाता है, तो उसे देश के बाहर जाकर शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से संसाधनों को जुटाना पड़ता है। शेष विश्व से ये संसाधन ऋण या निवेश के रूप में जुटाये जाते हैं। ऋण के रूप में जुटाए गए संसाधनों पर ब्याज चुकाना पड़ता है, जबकि निवेश की स्थिति में केवल लाभ में हिस्सेदारी देनी होती है। अत: स्पष्ट है कि विदेशी ऋण से बेहतर विदेशी निवेश के द्वारा संसाधन जुटाना लाभप्रद है। भारत में मुख्य रूप से विदेशी निवेश 2 प्रकार से आते हैं : (i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment), (ii) पोर्टफोलियो निवेश (Portfolio Investment)।

(i) **FDI :** किसी देश में औद्योगिक इकाई, कम्पनी या अन्य व्यवसायों की स्थापना या उनके विस्तार के लिये विदेशी निवेशक जो विदेशी पूंजी निवेश करते हैं वह FDI कहलाता है। FDI भी दो प्रकार से किया जाता है। **पहला,** देश में पहले से मौजूद कंपनी या कारखाने को खरीद लेना या मिलकर काम करना। **दूसरा,** विदेशी कंपनियों द्वारा नयी कंपनी एवं कारखानों की शुरूआत करना।

भारत में FDI आने के दो रास्ते हैं – (a) स्वचलित मार्ग (Automatic Route) (b) सरकार द्वारा प्राप्त अनुमति (Government Route)। स्वचलित मार्ग के द्वारा FDI में सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसका प्रबंधन RBI द्वारा किया जाता है। जबकि सरकार द्वारा अनुमति का रास्ता FIPB (Foreign Investment Promotion Board) द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

नोट : भारत में प्रत्यक्ष निवेश नीति निर्धारित करने की प्रमुख सरकारी संस्था DIPP (Department of Industrial Policy & Promotion) है।

(ii) **Portfolio Investment :** यह निवेश FII_s (विदेशी संस्थागत निवेशक) द्वारा शेयर बाजार, ऋण पत्रों (Debenture), बाण्ड आदि के क्रय द्वारा किया जाता है।

† **एफडीआई और पोर्ट फोलियो निवेश के मध्य अन्तर (Difference b/w FDI & Portfolio Investment) :**

एफडीआई	पोर्टफोलियो निवेश
• यह संरचनात्मक प्रकार तथा दीर्घकालिक स्वभाव का निवेश होता है।	• पोर्ट फोलिया निवेश FIIsके माध्यम से 'निवेश वित्तीय संपत्तियों' जैसे- शेयर ऋण पत्र, बॉण्ड आदि का क्रय कर किया जाता है।
• इसमें पूंजी पलायन (Capital Flight) का भय नहीं होता है।	• इनकी प्रकृति अस्थायी होती है अर्थात् बाजार में उथल-पुथल की स्थिति बनने पर इसमें पूंजी पलायन का भय बना रहता है।
• भारत में एफडीआई आने के दो रास्ते हैं- (i) स्वचलित मार्ग और (ii) सरकार द्वारा प्राप्त अनुमति।	• पोर्ट फोलियो निवेश करने के लिए FIIs को SEBI में पंजीकृत होना आवश्यक होता है।

4. मुद्रा एवं बैंकिंग (Money & Banking)

† **वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) :** देश के सभी भागों जहाँ बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बैकिंग सुविधा पहुंचाना ताकि, सरल प्रक्रिया से ऋण उपलब्ध कराया जा सके जिससे ग्रामीण लोग साहूकारों के चुंगल से बच सके साथ ही लोगों को बैकिंग सुविधाओं के संबंध में शिक्षित करना एवं परिवारों को खाता खोलने के लिए प्रेरित करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। वित्तीय समावेशन के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा बैंक, लघु बैंक व भुगतान बैंक की स्थापना जैसे प्रयास उल्लेखनीय है।

† **Wilful Defaulters :** ऐसी कम्पनियां जो बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के भुगतान की क्षमता होने के बावजूद भी बैंकों को यदि जानबूझकर भुगतान नहीं करती तो बैंक ऐसी कम्पनियों को Wilful Defaulter घोषित कर देती है। ऐसी स्थिति में कम्पनी को डिफाल्टर घोषित करने वाले बैंक से भविष्य में कभी भी ऋण प्राप्त नहीं हो पाता।

† **पी-नोट्स (Participatory notes-P-Notes) :** ऐसे विदेशी निवेशक जो भारत में Share Market में पैसा लगाना चाहते है परन्तु SEBI के पास रजिस्टर्ड नहीं है, पैसा नहीं लगा सकते परन्तु ये भावी निवेशक पार्टिसीपेटरी नोट्स द्वारा निवेश कर सकते है। इसका प्रावधान इस प्रकार है – पी नोट्स, पंजीकृत FIIs द्वारा जारी किया जाता है। पी नोट्स पर सिर्फ जारी करने वाले FIIs का उल्लेख होता है न कि खरीदने वाले का। भारत में लगभग 40 प्रतिशत FIIs का निवेश पी-नोट्स के माध्यम से होता है। पी नोट्स द्वारा हम ऐसे निवेशकों को आमंत्रित करते है जिनके कार्यों, उद्देश्य, नाम, पता की कोई जानकारी हमें नहीं होती।

नोट : FIIs द्वारा शेयर बाजार में प्रयोग की जा रही पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी नोट्स) की व्यवस्था के विषय में तारापोर समिति ने सुझाव दिया था कि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये क्योंकि इसके माध्यम से आने वाले धन के स्त्रोत का पता नहीं होता है।

† **रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्य (Funcation of RBI) :** RBI देश का केन्द्रीय बैंक है जिसके प्रमुख कार्य निम्नवत् है :-

बैंक के रूप में कार्य

- नोट निर्गमन करना।
- सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना।
- बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना
- मौद्रिक नीति का निर्माण एवं उसके माध्यम से साख नियंत्रण करना।
- विनियम दर को स्थिर करना।
- प्रमुख आर्थिक आकंड़ो को एकत्रित एवं प्रकाशित करना।

विकासात्मक कार्य

- कृषि साख की व्यवस्था हेतु नाबार्ड को साख उपलब्ध करना।
- निजी क्षेत्र की कम्पनियों को निजी बैंक खोलने के लाइसेंस जारी करना।
- बैंकों को शाखा विस्तार और विलय की अनुमति देना।
- समाशोधन गृह का कार्य करना।

† **मुद्रा आपूर्ति (Money Supply) :** मुद्रा आपूर्ति को मापने की चार विधियाँ निम्नवत् है:-

M_1 : Cash with the Public + Demand Deposit with the Bank + Other Deposit with the RBI

M_2 : M_1 + Demand Deposit with the Post Office

M_3 : M_1 + Time/Fixed Deposit with the Bank

M_4 : M_3 + All Deposit with the Post Office

नोट : M_1 को संकुचित मुद्रा (Narrow Money) कहा जाता है क्योंकि यह सर्वाधिक तरल रूप में होती है जबकि M_3 को विस्तृत मुद्रा (Broad Money) कहा जाता है। M_2 और M_4 में डाक घर की जमाओं के शामिल होने से इनका महत्व स्वत: ही कम हो गया क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण (1969) ने डाकखानों के अस्तित्व को सीमित कर दिया।

† **दुर्लभ व सुलभ मुद्रा (Hard & Soft Currency) :** अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जिन मुद्राओं की मांग के सापेक्ष आपूर्ति सीमित होती है ''दुर्लभ मुद्रा'' (Hard Currency) कहलाती है। जैसे :- अमेरिका की डालर। जबकि इसके विपरीत जिन मुद्राओं की मांग सीमित और आपूर्ति अधिक होती है ''सुलभ मुद्रा'' (Soft Currency) कहते है जैसे: भारतीय रूपया।

5. कृषि (Agriculture)

† **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price):** MSP कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। इसके द्वारा सरकार उत्पादक कृषकों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमतें नियत कीमत से नीचे नहीं गिरने दी जायेगी। यदि कीमतें MSP से नीचे गिरती है तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थित कीमतों पर खाद्यान्नों को क्रय कर लेगी।

नोट: Commission for Agriculture Cost & Price वर्ष में दो बार (रबी और खरीब) फसल बोने से पहले 25 फसलों के लिए MSP की सफिारिश करती है, जिस पर अंतिम निर्णय CCEA- Cabinate Committee on Economic Affair द्वारा लिया जाता है।

† **वसूली/खरीद मूल्य (Purchasing/Procurement Price):** वसूली कीमत से आशय उस कीमत से है, जिस कीमत पर सरकार मण्डी में कृषकों तथा व्यापारियों से उनकी उपज खरीदती है। इस अनाज का क्रय कर सरकार उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से कमजोर वर्गो तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा न्यूनतम आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।

नोट: यह मूल्य फसल कटने के बाद निर्धारित किया जाता है और यह कीमत MSP के बराबर या उससे अधिक होती है, कम कभी नहीं होती है।

† **निगमन आवंटन मूल्य (Issue Price):** जिस कीमत पर सरकार खाद्यान्न आदि वस्तुए उपभोक्ताओं को उचित कीमत की दुकानों से उपलब्ध कराते हैं वह निगमन आवंटन मूल्य कहलाता है।

नोट: निगमन आवंटन मूल्य, वसूली मूल्य से कम होता है और दोनों कीमतों के मध्य अन्तर को सरकार खाद्यान्न सब्सिडी देकर पूरा करती है।

6. आर्थिक नियोजन (Planning)

† **नियोजन (Planning) :** पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से दोहन करने की प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन है।

† **समावेशी विकास (Inclusive Development) :** समान अवसरों के साथ विकास करना ही **समावेशी विकास** है। दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसरों की समान पहुंच को भी सुनिश्चित करे। हम उस विकास को समावेशी विकास कह सकते हैं जब यह समाज के सभी सदस्यों की इसमें भागीदारी और योगदान को सुनिश्चित करता है। विकास की इस प्रक्रिया का आधार समानता है। समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं यानी आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, कौशल, विकास, स्वास्थ्य के साथ-साथ एक गरिमामय जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों की सुपुर्दगी भी करना है।

† **सतत/धारणीय विकास (Sustainable Development) :** विकास का ऐसा माडल जिसमें ''प्राकृतिक संसाधनों के ऐसे प्रयोग को महत्व दिया जाता है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर निर्बाध चलता रहे'' अर्थात् प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन करना ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग स्वयं के विकास के लिए कर सके।

† **योजना अवकाश (Plan Holiday) :** युद्ध, आपातकाल, वित्तीय संकट एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना को अपनाना **योजना अवकाश** की स्थिति भारत में वर्ष 1966 से 1969 व 1990 से 1992 की समयावधि **योजना अवकाश** की रही है।

† **गैर-संवैधानिक निकाय (Non-constitutional body) :** ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में नही है गैर संवैधानिक निकाय कहलाते हैं, जैसे-योजना आयोग (Planning Commission) व राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council)

† **संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) :** ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया है जैसे वित्त आयोग (Art-280), अन्तर्राज्यी परिषद (Art. 263)

† **सांवधिक निकाय (Statutory Body) :** ऐसे निकाय जिनका संविधान के मूल स्वरूप में उल्लेख न हो परन्तु जिन्हें विधेयक पास कर कानून बनाकर, संविधान में जोड़ा गया है जैसे-आरबीआई (RBI Act 1935) क्षेत्रीय परिषदें (State Reorganization Act 1956)

7. बजट (Budget)

† **बजट के प्रमुख घाटे (Important Deficit) :** भारत के बजट में निम्नलिखित घाटे देखने को मिलते हैं:

4 **राजस्व घाटा (Revenue Deficit)** : राजस्व प्राप्तियाँ ◘ – राजस्व व्यय < = राजस्व घाटा [Revenue Receipts ◘ - Revenue Expenditure < = **Revenue Deficit**]

4 **राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)** : राजस्व घाटा + ब्याज भुगतान = राजकोषीय घाटा [Revenue Deficit + Intrest Payment = **Fiscal Deficit**]

4 **प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)** : राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान = प्राथमिक घाटा [Fiscal Deficit - Intrest Payment = **Primary Deficit**]

4 **जुड़वा घाटा (Twin Deficit)** : राजकोषीय घाटा + चालू खाता घाटा = जुड़वा घाटा [Fiscal Deficit + Current A/c Deficit = **Twin Deficit**]

† **संचित/समेकित कोष (Consolidated Fund) :** Art. 266(i) के अनुसार भारत का समेकित कोष वह कोष है जिसमें सरकार, कर तथा ऋण आदि से प्राप्त आय को रखती है। तथा अपने संपूर्ण व्यय भी इसी कोष से करती है। संसद की स्वीकृति के बिना इस निधि में से कोई रकम नहीं निकाली जा सकती।

† **आकस्मिक कोष (Contingency Fund) :** Art 267 के अनुसार यह अप्रत्याशित और आकस्मिक व्ययों को पूरा करने वाला कोष है जो केन्द्र सरकार के सम्बन्ध में राष्ट्रपति तथा राज्य सरकार के सम्बन्ध में राज्यपाल के पास प्रयोग हेतु रहता है। ऐसे व्ययों को आकस्मिक कोष से निकासी के द्वारा पूरा कर लिया जाता है बाद में संसद के समक्ष पारित होने पर राशि को संचित कोष से निकालकर इसमें पुन: वापस डाल दिया जाता है।

† **सार्वजनिक/लोक खाता (Public Account) :** Art 266(2) के अनुसार करों से प्राप्त आमदनी के अतिरिक्त सरकार के पास कुछ ऐसी धनराशि भी होती है जिसकी वह मालिक नहीं केवल ट्रस्टी होती है और जिसे वह निर्धारित समय पर नियमानुसार ब्याज के साथ लौटा देती है। चूंकि यह धन देर सवेर सरकार को सम्बन्धित पक्षों को लौटाना पड़ता है। इसलिए इस पर संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। लोक खाते में शामिल मदें हैं- बचत जमाए, सरकारी प्रतिभूति, सावधि जमाए, जीवन बीमा आदि।

† **शून्य आधारित बजट (Zero Base Budget) :** बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को बिल्कुल नूतन मद (शून्य) मानते हुए उसका नये सिरे से मूल्यांकन करना ही **शून्य प्रणाली बजट** कहलाता है।
नोट : बजटीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 से शून्य आधारित बजट अपनाया गया।

† **प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenut Deficit) :** राजस्व घाटे में से पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु दिये गये अनुदान को घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को **'प्रभावी राजस्व घाटा'** कहते है।

सूत्र : राजस्व घाटा – पूंजी परिसम्मपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान = प्रभावी राजस्व घाटा

Revenue Deficit - Grants for Creation of Capital Assets = Effective Revenue Deficit

8. कर (Tax)

† **प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) :** हम उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके मौद्रिक अर्थात् वास्तविक बोझ को दूसरे पर टाला ना जा सके। जिनके सम्बन्ध में कर से उत्पन्न कराघात (Impact) तथा करापात (Incidence) उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। जैसे-आयकर, निगम कर।

नोट:

- **कराघात (Tax Incidence) :** कर का मौद्रिक भार जो व्यक्ति अदा करता है, माना जाता है कि कराघात उस व्यक्ति पर हुआ है।
- **करापात (Tax Impact) :** कर का मौद्रिक भार कर अदा करने वाले व्यक्ति पर न पड़कर जब किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, तो उसे करापात कहते हैं।

† **अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) :** अप्रत्यक्ष कर में कर का मौद्रिक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है जो उसे अदा करता है। अर्थात् अप्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात भिन्न-भिन्न व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे-सेवा कर, उत्पाद शुल्क। सेवा व उत्पाद शुल्क क्रमशः सेवा प्रदाता व वस्तु निर्माता पर लगाया जाता है, परन्तु इन करों का वास्तविक बोझ उपभोक्ता को वहन करना होता है।

† **वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Services Tax) :** यह टैक्स केन्द्र व राज्यों द्वारा लगाये गये 17 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद Central Excise Duty, Service Tax, Additional Custom Duty, Special Additional Duty of Custom, VAT/ Sales Tax, Central Sales Tax, Entertainment Tax, Octroi & Entery Tax, Purchase Tax, Luxury Tax खत्म हो जायेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं पर केवल तीन तरह के टैक्स वसूले जायेंगे- **पहला :** Central GST जो केन्द्र सरकार वसूलेगी, **दूसरा :** State GST जो राज्य सरकार अपने यहाँ होने वाले कारोबार पर वसूलेगी और **तीसरा :** Integrated GST कोई कारोबार अगर दो राज्यों के बीच होगा तो उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी वसूली जायेगी जो केन्द्र सरकार वसूलेगी और दोनों संबंधित राज्यों में समान अनुपात में बांटेगी। इस प्रकार यह एक समन्वित कर है अर्थात् जब जीएसटी की बात की जाती है तो इसका मतलब एक ऐसी नई व्यवस्था से है, जिसमें कराधान बहुत ही सरल हो जाता है, करों की दरें भी कम हो जाती है, कराधान के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाते हैं और करों से प्राप्त होने वाला राजस्व कई गुना बढ़ जाता है। इस नई कर व्यवस्था का ध्येय वाक्य **''एक देश, एक कर''** है।

† **प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct Tax Code) :** प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct Tax Code) में सभी प्रत्यक्ष करों, जैसे-आयकर, लाभांश वितरण कर, अनुषंगी लाभ कर और संपत्ति कर से संबंधित कानूनों को समेकित तथा संशोधित किया जाना है, ताकि एक किफायती रूप से दक्ष, प्रभावी और साम्य योग्य प्रत्यक्ष कर प्रणाली स्थापित की जा सके। तथा प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को बढ़ाने में सहायता करें। इसका एक अन्य उद्देश्य विवादों के विस्तार को कम करना और मुकदमों को न्यूनतम रखना है। यह संहिता वर्ष 1961 की आयकर अधिनियम का स्थान लेगा।

9. गरीबी एवं बेरोजगारी (Poverty & Unemployment)

4 **अदृश्य/प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) :** अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि क्षेत्र में पाई जाती है जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। कारण, लोगों की खेती में उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह की बेरोजगारी में श्रमिक यद्यपि ऊपरी तौर पर रोजगार मे लगे दिखाई देते हैं, परंतु सब लोगों को पर्याप्त मात्रा में कार्य नहीं मिल पाता। किसी कार्य को करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कुछ श्रमिकों को काम पर से हटा लिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कमी नहीं आएगी। यह स्थिति ही अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है।

4 **मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) :** भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली दूसरी तरह की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी है। इसका कारण यह है कि खेती एक मौसमी व्यवसाय है अर्थात खेती में मौसम के अनुसार फसलें बोई जाती है। खाली मौसम में प्रायः खेती में काम करने वाले कृषकों के पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अलावा और भी कई मौसमी कार्य हैं जैसे गन्ना पिराई, ईंटों के भट्टे आदि। इन कार्यों में लगे हुए श्रमिकों को वर्ष के केवल कुछ महीनों तक काम मिलता है। शेष समय के लिए ये बेकार रहते हैं।

4 **संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment) :** वह बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इस तरह की बेरोजगारी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है।

4 **अल्प रोजगार (Under Employment) :** जब एक व्यक्ति को अपेक्षित समय से कम समय के लिए काम मिलता है अथवा वर्ष भर में कुछ माह के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है तो उसे अल्परोजगार की स्थिति कहते है।

4 **चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment) :** चक्रीय उतार चढ़ावों या परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। आर्थिक तेजी (Boom), आर्थिक सुस्ती (Recession), आर्थिक मंदी (Depression) तथा आर्थिक पुनर्रूत्थान (Recovery) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान है।

सापेक्ष गरीबी (Relative Poverty) : सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है अर्थात् जनसंख्या के सबसे निचले वर्ग की आय की तुलना जनसंख्या के सबसे ऊपरी वर्ग की आय से की जाती है तथा इससे प्राप्त परिणाम सापेक्षिक गरीबी की स्थिति को दर्शाते है। सापेक्ष गरीबी मापने के सम्बन्ध में दो विधियाँ प्रयोग में आती है :- (क) लारेंज वक्र विधि (ख) गिनी गुणांक

आधार	**लारेंज वक्र विधि (Lorenz Curve)**	**गिनी गुणांक (Gini Coefficient)**
विकास	वर्ष 1905 में ।	वर्ष 1921 में।
प्रतिपादक	मैक्स ओलारेन्ज द्वारा ।	कोरेडो गिनी द्वारा।
अवधारणा	इस वक्र के माध्यम से यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि एक निश्चित आय के नीचे कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है अर्थात् देश की 10 प्रतिशत आय	गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है यदि G का मान शून्य है (G= 0) तो देश में आय का वितरण समान

95 लोगों के पास है जबकि देश की 90 प्रतिशत आय मात्र 5 लोगों के पास सीमित है।

है और यदि G का मान 1 है (G= 1) तो देश में आय वितरण में असमानता है गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 है और न्यूनतम मूल्य शून्य के बराबर है।

निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty) : सापेक्ष गरीबी से इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि गरीब लोगों की संख्या क्या है? इस कमी को दूर करने के लिए हम निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना को अपनाते है। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग FAO (Food & Agriculture Organization) के प्रथम महानिदेशक **आर. वायड** ने 1945 में किया। इसके अन्तर्गत हम एक निश्चित मापदण्ड के आधार पर तय करते है कि कितने लोग इस मापदण्ड के नीचे है और उन्हें हम गरीब कहते है। उदाहरण के लिए यदि हम मान ले कि जिन लोगों की आय 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन देने वाली आय से कम होगी उन्हें हम गरीब कहेंगे। इस मापक जिसे हम गरीबी रेखा मानते है, के नीचे आने वाले सभी लोग गरीब कहलायेंगे। गरीबी ज्ञात करने की इस विधि को **Head Count Method** कहते है।

नोट : भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान प्रयोग किये जाते है न कि सापेक्ष प्रतिमान।